3/2024

326 3/6/24

No. ......994.../MD/Govt./2024
Dt. ....31.../...05.../2024

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

परिवहन निगम मुख्यालय,

लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 27/05/2024

विषयः उ०प्र० राज्य सड़क परियहन निगम द्वारा संचालित बसों में लोकतंत्र सेनानियों के पात्र आश्रितों हेतु (पति/पत्नी यथास्थिति) निःशुल्क यात्रा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-382 सीएसी/18-1007 सीएसी/2006, दिनांक 20.7.2023, पत्र संख्या-582 सीएसी/23-1007 सीएसी/2006, दिनांक 26.12.2023 एवं पत्र संख्या-77 सीएसी/24-1007 सीएसी/2006, दिनांक 14.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनमे वितीय उपाशय निहित होने करण लोकतंत्र सेनानियों के न रहने की दशा में उनके पात्र उत्तराधिकारी (पति/पत्नी यथास्थिति) हेतु उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा व किराया राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को उ०प्र० लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 के बिन्दु सं0-4(5) एवं बिन्दु सं0-6(1) में निम्नवत व्यवस्था है:-

"लोकतंत्र सेनानी को एक परिचर सहित उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जायेगी। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को नियमानुसार की जायेगी।" एवं बिन्दु सं0-6(1) में "लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति, पत्नी या पति सम्मान राशि और सुविधायें प्राप्त करेगी/ करेगा।" की व्यवस्था है, इससे स्वतः स्पष्ट है कि मूल लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के उपरांत ही यथास्थिति पत्नी/पति को सम्मान राशि एवं सुविधाएँ प्राप्त होंगी, उनके जीवित रहते हुए नहीं।

3- जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को एक सहायक के साथ (आश्रित के रूप में) पूरे प्रदेश में उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-175 जेड/6-सा-1-07-01 जी/85 दिनांक-22.01.2007 द्वारा निर्देश दिये जाने का संबंध है तो स्पष्ट करना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को दिए जाने वाले अनुदान तथा स्वतंत्रता संग्राम पेंशन के सम्बन्ध में निर्गत नियमावली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान नहीं थे इस संबंध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा निरंतर मांग किये जाने पर शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 1989 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहायक के साथ निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। पुनः सत्याग्रह आन्दोलन के सौ वर्ष पूर्ण होने पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को भी एक सहायक सहित प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाय। तदनुक्रम में ही शासनादेश दिनांक 22.01.2007 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया था। जबकि लोकतंत्र सेनानियों के सम्बन्ध में निर्गत उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम-2016, के बिंदु संख्या-6(1) में यह स्पष्ट प्रावधान उल्लिखित है कि लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में, लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति पत्नी या पति सम्मान राशि और सुविधाएँ प्राप्त करेगी/करेगा।

RK/RC

03/06/2024

13/2024

4- वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में लोकतंत्र सेनानी की मृत्युपरांत उनके पात्र उत्तराधिकारियों (पत्नी/पति यथास्थिति) हेतु निःशुल्क यात्रा के सम्बन्ध में अलग से शासनादेश निर्गत किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है तथा उ0प्र0 लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 के बिन्दु सं0-6(1) में निहित व्यवस्थानुसार लोकतंत्र सेनानी की मृत्युपरांत उनके पात्र उत्तराधिकारियों (पत्नी/पति यथास्थिति) को उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी

भवदीय,

Digitally Signed by मनोज कुमार राय
Date: 27-05-2024 13:13:45
Reason: Approved

(मनोज कुमार राय)
विशेष सचिव ।

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक–250 सीएसी/24–1007सीएसी/2006

दिनांक 03 ~~जून~~ जुलाई, 2024

1– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त/डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

3– समस्त सम्परीक्षा अधिकारी,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय–उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में लोकतन्त्र सेनानियो के पात्र आश्रितों हेतु (पति/पत्नी यथास्थिति) निःशुल्क यात्रा के संबंध में।

उपरोक्त विषयक राजनैतिक पेंशन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ने पत्र सं0–82–3099/7/2024– 3–I/ 569103/2024 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में लोकतंत्र सेनानी की मृत्युपरांत उनके पात्र उत्तराधिकारियों (पत्नी/पति यथास्थिति) हेतु निःशुल्क यात्रा के सम्बन्ध में अलग से शासनादेश निर्गत किये जाने का कोई औचित्य नही पाया गया है तथा उ0प्र0 लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम–2016 के बिन्दु सं0–6(1) में निहित व्यवस्थानुसार लोकतंत्र सेनानी की मृत्युपरांत उनके पात्र उत्तराधिकारियों (पत्नी/पति यथास्थिति) को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य की गयी है।

तदनुसार लोकतंत्र सेनानी की मृत्युपरांत उनके पात्र उत्तराधिकारियों (पत्नी/पति यथास्थिति) को जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र के आधार पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में एक परिचर सहित निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान की जाय।

उक्त के सम्बन्ध में समस्त परिचालकों/चेकिंग स्टाफ को अवगत कराते हुए उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन अपने अधीनस्थों से कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(मासूम अली सरवर)
प्रबन्ध निदेशक
28.06.-24

पत्रांकः–समसंख्यक एवं समदिनॉकित

प्रतिलिपि–

1– अनु सचिव, राजनैतिक पेंशन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन को उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–82–3099/7/2024–3–I/569103/2024 दिनांक 27.05.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2– निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता सग्राम सेनानी कल्याण परिषद, कक्ष सं0–224,सी ब्लाक, लोक भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3– समस्त नोडल अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मासूम अली सरवर)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या-16/2018/1498जेड/6-सा-3-2018-11आई0जी0आर0एस0/2017

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 11 जुलाई, 2018

विषय:- आपातकालीन अवधि (दिनांक-25-06-1975 से 21-03-1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में जेल में निरूद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतन्त्र सेनानियों की स्वीकृत सम्मान राशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपातकालीन अवधि (दिनांक-25-06-1975 से 21-03-1977 तक) के दौरान मीसा/डी0आई0आर0 में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को शासनादेश संख्या-800जेड/6-सा-1-2012-55जी/90, दिनांक-14-09-2012 द्वारा दिनांक-01-04-2012 से रू0 3000/- (रू0 तीन हजार मात्र) मासिक सम्मान राशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके पश्चात शासनादेश संख्या-1143जेड/6-सा-1-2014-55जी/90, दिनांक-18-07-2014 द्वारा मासिक सम्मान राशि रू0 3000/- से बढाकर रू0 6000/- (रू0 छः हजार मात्र), शासनादेश संख्या-1/2015/123जेड/6-सा-1-2015-55जी/90, दिनांक-01-04-2015 द्वारा रू0 6000/- से बढाकर रू0 10000/- (रू0 दस हजार मात्र) तथा शासनादेश संख्या-10/2016/504जेड/6-सा-1-2016-55जी/90टीसी-6, दिनांक-04-04-2016 द्वारा रू0 10000/- से बढाकर रू0 15000/-(रू0 पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिमाह की गयी है।

2- लोकतन्त्र सेनानियों/राजनैतिक बन्दियों की मासिक सम्मान राशि रू0 15000/- से बढाकर रू0 20000/- (रू0 बीस हजार मात्र) किये जाने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतन्त्र सेनानियों को रू0 20000/- (रू0 बीस हजार मात्र) मासिक सम्मान राशि का भुगतान देय होगा।

3- सम्मान राशि में उक्तानुसार वृद्धि के फलस्वरूप इसका भुगतान संगत मद में उपलब्ध धनराशि से करते हुए वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये आने वाले व्यय-भार की गणना कर धनराशि आवंटन हेतु प्रस्ताव निदेशक/सचिव, उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- यह आदेश दिनांक-01-07-2018 से प्रभावी होगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1005/दस-2018, दिनांक-11-07-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-16/2018/1498(1)जेड/6-सा-3-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक/सचिव, उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।
4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2 एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
उप सचिव।